राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या– 06/2014–15

दिनांक : 08–07–2014

आयोग के विज्ञापन संख्या 01/2013–14 दिनांक 02.05.13 के तहत पद क्रम संख्या 2 पर सहायक कारापाल, कारागार विभाग के पद विज्ञापित किये गये। उक्त पदों के विज्ञापन के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट संबंधी प्रावधान संख्या 1 के अन्तर्गत वर्णित निम्न लिखित प्रावधान को **विलोपित समझा जावे** साथ ही यदि उक्त प्रावधान के विलोपित किये जाने के फलस्वरूप यदि कोई अभ्यर्थी आयु सीमा से बाहर हो रहे हों तो वे अपना शुल्क वापस ले सकते हैं, इस हेतु अपने ऑन–लाईन आवेदन पत्र की प्रति एवं आई.डी. प्रूफ की प्रति भेजते हुए अपने आवेदन पत्र में बैंक अकाउन्ट नं., आई.एफ. एस. कोड एवं पेयबल ब्रांच का नाम अंकित करते हुए दिनांक 20.07.2014 तक आवेदन कर सकते हैं, इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगेः–

''यदि कोई अभ्यर्थी किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई थी, अपनी आयु की दृष्टि से परीक्षा में सम्मिलित होने का हकदार रहा होता/होती, तो वह अपनी आयु की दृष्टि से ठीक बाद वाली परीक्षा में सम्मिलित होने का हकदार समझा जाएगा/जाएगी।''

स्पष्टीकरण :– आयोग द्वारा वर्ष 2008 की परीक्षा हेतु आयु की गणना दिनांक 01.01.2009 को की गई थी तत्पश्चात् इन पदों की परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी दिनांक 01. 01.2010 को आयु सीमा में थे उन्हें आयु सीमा में ही समझा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट देय होगी।''

(नरेश कुमार ठकराल)
सचिव